

1 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 25/2017

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत

आप0 पुनरीक्षण याचिका क्र. 25/2017

संस्थापन दिनांक - 23.03.2017

1. रामनिवास पुत्र अमरसिंह गुर्जर, उम्र 34 वर्ष।
2. सतेन्द्र उर्फ सत्तू पुत्र अमरसिंह, उम्र 22 वर्ष।
3. अमरसिंह पुत्र सोनेराम, उम्र 52 वर्ष। निवासीगण-
वार्ड क्रमांक 8 बाबा कपूर की गली गोहद, तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्तागण

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिनिगरानीकर्ता / अभियोजन

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।
प्रतिनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर
अपर लोक अभियोजक

आ-दे-श

(आज दिनांक 01/08/2017 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण की ओर से यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री अमित गुप्ता के न्यायालय के प्र0क्र0 40/17 ई.फौ. (शा0पु0 गोहद वि0 अमरसिंह आदि) में लिए गए संज्ञान आदेश दिनांक 31.01.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 323, 294, 325, 34 एवं 459 के अंतर्गत संज्ञान

लिया गया है।

02. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 23.12.16 को देवेन्द्र उर्फ चंचल थापक की रिपोर्ट पर से फरियादी के घर के अंदर घुसकर फरियादी की पत्नी विनीता, पिता महेशचंद्र को माँ बहन की गालियाँ देने एवं मारपीट करने एवं फरियादी की लाठियों से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पुलिस थाना गोहद में अप0क्र0 374/16 अंतर्गत धारा 452, 323, 294, 506, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना फरियादी महेशचंद्र को अस्थिभंग होने से धारा 325, 458 भा.द.वि का इजाफा किया गया है और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र धारा 452, 323, 294, 506, 325, 458, 34 भा.द.वि में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.2017 को पेश किया गया है, जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 458 भा.द.वि के स्थान पर धारा 458 भा.द.वि में संज्ञान लिया गया है, जिससे व्यथित होकर आरोपीगण/पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 31.01.2017 को विधि और तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते हुए यह व्यक्त किया अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध भा.द.वि की धारा 459 के अंतर्गत संज्ञान लेने में कानूनी भूल की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है जिससे दर्शित होता हो कि निगरानीकर्तागण के विरुद्ध धारा 459 भा.द.वि के तथ्य आकृष्ट होते हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र ईर्ष्यावश 459 भा.द.वि के अंतर्गत संज्ञान लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्तागण का आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

04. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप दर्शाते हुए पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 25/2017

05. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से के0पी0राठौर एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 40/2017 ई0फौ0 शा0पु0 गोहद वि0 अमरसिंह आदि के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

06. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 40/202017 मु0फौ0 (शा0पु0 गोहद वि0 अमरसिंह आदि) में पारित आदेश दिनांक 31.01. 2017 विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	---

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियोगपत्र भा.द.वि की धा 458 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने उसी तथ्य को ईर्ष्यावश देखते हुए भा.द.वि की धारा 459 का संज्ञान लेकर विधि विरुद्ध कार्य किया है।

08. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने मूल रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण में अधिकतम भा.द.वि की धारा 458 ही आकृष्ट होती है, भा.द.वि की धारा 459 आकृष्ट नहीं होती है। प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो फरियादी पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि जब विनीता अपने घर पर थी और आँगन में वर्तमान माझ रही थी उस समय अमरसिंह घर के अंदर आँगन में आया और उसे बुरी बुरी गालियाँ देने लगा। इसी बीच उसके ससुर महेशचन्द्र ने उसे रोका तो अमरसिंह ने महेशचन्द्र थापक के मुँह में घूसा मार दिया जिससे उनके चोट आई। तत्पश्चात् आरोपीगण ने फरियादी देवेन्द्र के साथ

भी लाठियों से मारपीट की।

09. इस पुनरीक्षण याचिका के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण के ऊपर फरियादी के घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। ऐसी स्थिति में भा.द.वि की कौन सी धारा आकृष्ट होती है? विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में भा.द.वि की धारा 323, 294, 325, 459, 34 के अंतर्गत संज्ञान लिया है।

10. भा.द.वि की धारा 458 व 459 दोनों में ही प्रच्छन्न गृहअतिचार एवं गृहभेदन करते समय दण्ड के प्रावधान है। भा.द.वि की धारा 458 मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जबकि भा.द.वि की धारा 459 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आहत महेशचन्द्र को कारित चोट को दृष्टिगत रखते हुए भा.द.वि की धारा 459 में संज्ञान लिया है।

11. दं.प्र.सं. की धारा 190 के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, तब वह दं.प्र. सं. की धारा 190(1) के अंतर्गत प्राप्त जानकारी पर कार्यवाही प्रारंभ करता है। संज्ञान न तो निर्णायक है, केवल सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय की कार्यवाही का प्रारंभ करना है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को भा.द.वि की धारा 459 के अंतर्गत प्रथम दृष्टिया मानते हुए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सत्र न्यायालय को प्रकरण उपार्पित किया है और प्रकरण सत्र न्यायालय में लंबित है। आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कौन सा अपराध किया जाना दर्शित होता है, इसकी उचित स्टेज आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर होती है। प्रश्नगत मामला सत्र न्यायालय में आरोप पर तर्क के लिए नियत है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्तागण के पास एक बिकल्प उपलब्ध है कि उनकी ओर से जो आधार लिया गया है वह सक्षम न्यायालय में आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर प्रस्तुत करें।

12. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टिया मामले में तथ्यों को पाते हुए संज्ञान लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश में इस प्रकार की कोई त्रुटि दर्शित नहीं

होती है जिसमें कि पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किया जावे।

13. परिणामतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख में संलग्न की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)